

दिनांक 02.06.2023 को आयोजित उद्योग मित्र बैठक

उपस्थिति:-

- 01 सर्व श्री युगल किशोर पन्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय उद्योग मित्र ऊधम सिंह नगर।
- 02 डॉ० मनोज कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 03 श्री विपिन कुमार, सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ऊधम सिंह नगर।
- 04 श्री कमल किशोर कफलटिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल काशीपुर।
- 05 श्री बी०के०सिंह, ए०आर०टी०ओ० (ई), ऊधम सिंह नगर।
- 06 श्री रविन्द्र सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज।
- 07 श्री दया किशन, प्रतिनिधि, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, फायर स्टेशन, रूद्रपुर।
- 08 श्री प्रमोद सुयाल, ए०ई० पी०डब्लू०डी०, खटीमा।
- 09 श्री परवेज आलम, ए०ई० पी०डब्लू०डी०, काशीपुर।
- 10 श्री राजेन्द्र प्रसाद, ए०ई० पी०डब्लू०डी०, रूद्रपुर।
- 11 श्री प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी, राज्य कर विभाग, ऊधम सिंह नगर।
- 12 श्री मोहन सिंह बिष्ट, आबकारी निरीक्षक, ऊधम सिंह नगर।
- 13 श्री जुबन सक्सेना, कोषाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 14 श्री अहमद नदीम, जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 15 श्री ललित मोहन, यूपीसीएल, रूद्रपुर।
- 16 श्री डी०सी० गोस्वामी, यूपीसीएल, किच्छा।
- 17 श्री डी०एस०राना, डेयरी विकास विभाग, ऊधम सिंह नगर।
- 18 श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 19 श्री दीपक गोस्वामी, एस०एन०ए०, नगर निगम रूद्रपुर।
- 20 श्री तेजपाल सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रूद्रपुर।
- 21 श्री आर०सी० आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 22 डॉ० एस०बी० पाण्डे, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- 23 श्री मो० आसिम, ब्रिडकुल।
- 24 श्री कृष्ण कुमार, यू०पी०आर०एन०एन० बरेली।
- 25 श्री के०सी० सत्यवली, अध्यक्ष एस०ई०डब्ल्यू०एस० सितारगंज।
- 26 श्री श्रीकर सिन्हा, सचिव, एस०ई०डब्ल्यू०एस० सितारगंज।
- 27 श्री आशुतोष शर्मा, अध्यक्ष सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी, सिडकुल, पन्तनगर।
- 28 श्री आलोक कुमार गोयल, सचिव, के०जी०सी०सी०आई०, काशीपुर।
- 29 श्री अशोक कुमार, पूर्व अध्यक्ष, के०जी०सी०सी०आई०, काशीपुर।
- 30 श्री तुषार अग्रवाल, प्रतिनिधि माँ शीतला वैन्चर्स लि०, किशनपुर किच्छा।
- 31 श्री राजीव गुप्ता, मै० के०वी०एस० काशीपुर।

(1)

कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न।

बिन्दु संख्या 01 – सी0एस0आर0 के संबंध में – बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद में 1109 राजकीय विद्यालय हैं जिसमें 785 प्राथमिक विद्यालय, 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 66 माध्यमिक विद्यालय 58 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विद्यालयों में से सी0एस0आर0 अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा 512 स्कूलों को गोद लिया गया है, जिसमें से 30 स्कूलों का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं, 164 स्कूलों में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, तथा 55 स्कूलों में कार्य आरम्भ होना है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि सी0एस0आर0 इस बैठक का मुख्य बिन्दु है एवं सामाजिक हितों से जुड़ा है, जिस कारण इस पर बैठक में सर्वप्रथम चर्चा की जाती है। उनके द्वारा कहा गया कि सी0एस0आर0 फण्ड का उपयोग शिक्षा के साथ-साथ अन्य कई क्षेत्रों में सामाजिक उन्नयन के लिये भी किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इकाइयों द्वारा गोद लिये गये स्कूलों की एक पी0पी0टी0 तैयार करें, जिसमें औद्योगिक इकाइयों द्वारा गोद लिये गये स्कूलों के सापेक्ष कितने स्कूलों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, कितने स्कूलों में कार्य गतिमान है व कार्य पूर्ण होने की अवधि, कितने स्कूलों में कार्य आरम्भ होना शेष है। जिन गोद लिये गये स्कूलों में आतिथि तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उन स्कूलों के संबंध में कार्य आरम्भ व पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये। उक्त पी0पी0टी0 के माध्यम से सी0एस0आर0 द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण सुगमता से किया जाना सम्भव होगा।

कार्यवाही – मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 02 – उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 एवं महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान दावों को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 एवं उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (यथा संशोधित 2020) के अंतर्गत क्रमशः 39 इकाइयों के रू0 63,47,574.00 एवं 03 इकाइयों को रू0 4,88,912.00 के ब्याज उपादान आवेदन दावे प्राप्त हुये हैं। योजना अंतर्गत संबंधित शासनादेशानुसार प्राप्त दावों को इस हेतु गठित समिति के सदस्य से परीक्षण कराकर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि संदर्भित योजनाओं के अन्तर्गत पात्र इकाइयों के ब्याज उपादान दावों को नियमानुसार समय अवधि के भीतर समिति के माध्यम से अनुमोदित करा कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि पात्र इकाइयों को ब्याज उपादान का लाभ प्राप्त हो सके।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 03 – काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0, काशीपुर (यूनिट-2) की स्थापना में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में – उक्त बिन्दु के संबंध में बैठक में उपस्थित मै0 काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर (यूनिट-2) के प्रतिनिधि श्री राजीव गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015 के अंतर्गत ग्राम गिरधई, बघेलेवाला एवं शिवलालपुर अमरझण्डा, तहसील काशीपुर में काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) के नाम से एक नए उद्योग की स्थापना की जा रही है।

— क्रमशः पेज संख्या – 02 —

(2)

उक्त गांवों को जोड़ने वाली चक रोड प्रस्तावित इकाई की परिधि के अन्तर्गत आ रही है। इकाई द्वारा उक्त चक रोड इकाई के नाम करते हुए इसके स्थान पर अन्य कनेक्टिंग रोड उपलब्ध करने हेतु कहा गया है।

बैठक में तहसीलदार काशीपुर उपस्थित नहीं रहे, जिस कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि तहसीलदार काशीपुर से पत्राचार कर उक्त बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सम्बन्ध में सु-स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु अवगत करायें साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी उद्योग मित्र बैठक में तहसीलदार काशीपुर उक्त बिन्दु पर अद्यतन कार्यवाही की सूचना सहित बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही – तहसीलदार काशीपुर।

बिन्दु संख्या 04 – जिला पंचायत चौकी द्वारा वसूली जाने वाली धनराशि को बंद किए जाने के संबंध में – उक्त बिन्दु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0, एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0, सचिव के0जी0सी0सी0आई0 एवं अन्य औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा किसी भी मार्ग पर अपनी चौकियों के माध्यम से माल भाड़ा सुविधा शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी परन्तु कुछ समय से जसपुर से ठाकुरद्वारा राज्य मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा चौकी स्थापित की गई है, जिससे कर वसूली की जा रही है। उक्त चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कराये जाने का अनुरोध किया गया।

बैठक में उपस्थित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तारीकरण होने से जिला पंचायत का क्षेत्र बहुत कम हो गया है एवं सिडकुल पन्तनगर/सितारगंज में स्थापित उद्योगों से प्राप्त आय भी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बन्द हो गई है। उक्त व्यवस्था के कारण आय में वृद्धि हेतु लदान-दुलान शुल्क वसूली का ठेका ई-निविदा के माध्यम से दिया गया है, जिससे जिला पंचायत को रू0 36.04 लाख की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 17.01.2023 को आयोजित उद्योग मित्र बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत चौकियों के माध्यम से की जा रही कर वसूली बन्द किये जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पत्र तैयार कर पत्रावली हस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी महोदय, ऊधम सिंह नगर के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे महोदय के हस्ताक्षर उपरान्त शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

कार्यवाही – अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 05 – इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन करने की अनुमति के सम्बन्ध में – बैठक में उद्यमियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि कई राज्यों में इन्जीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में श्रम संविदा कार्मिकों को रखने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उत्तराखण्ड में भी इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।

इस संबंध में बैठक में उपस्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित बिन्दु पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है जिस हेतु विगत बैठक में संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 10 में छूट चाहने वाली इकाईयों को पूर्ण स्पष्ट औचित्य एवं अभिलेखों सहित अपना आवेदन कार्यालय, सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे कि

(3)

प्रकरण मुख्यालय के माध्यम से शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जा सके, परन्तु कार्यालय में एक भी इकाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस पर सचिव के0जी0सी0सी0आई0 श्री आलोक कुमार गोयल एवं अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 श्री आशुतोष शर्मा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा इकाईयों के नाम व इकाईयों की गतिविधियां सहित सूची तैयार कर कार्यालय सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में उपलब्ध कराई गई थी परन्तु उस पर आतिथि तक कोई विचार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह पुनः अपना आवेदन कार्यालय सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में प्रस्तुत करें एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त आवेदन पत्रों को संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही – सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर

बिन्दु संख्या 06 – रुद्रपुर में वेयरहाऊस की स्थापना के सम्बन्ध में – उक्त के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि वेयर हाउस हेतु टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं शीघ्र ही उक्त कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर।

बिन्दु संख्या 07 – काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की समस्याओं के सम्बन्ध में – बैठक में सचिव के0जी0सी0सी0आई0 श्री आलोक कुमार गोयल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि काशीपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में सड़कों एवं नालियों के ध्वस्त होने से बरसात का पानी एवं उद्योगों से निकलने वाला पानी औद्योगिक आस्थान की सड़कों में ही भरा रहता है। इससे यहाँ पर कार्यरत उद्योगों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि 26 मई, 2023 को औद्योगिक आस्थान काशीपुर में सड़कों एवं नालियों के निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मेरे द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग के साथ उक्त कार्यों का संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें कार्य पूर्ण पाया गया है।

अतः उक्त बिन्दु को आगामी बैठक से विलोपित करना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 08 – मैथनॉल के लाइसेन्स की वैधता 5 साल के लिए किये जाने के सम्बन्ध में – बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उद्योगों में उपयोग होने वाले मैथनॉल लाइसेन्स की वैधता मात्र 1 वर्ष के लिए होती है, जिसके उपरान्त पुनः लाइसेन्स जारी कराने में उद्यमियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त लाइसेन्स की वैधता 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिये।

बैठक में उपस्थित आबकारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा सदन को अवगत कराया गया लाइसेन्स की वैधता 05 वर्ष करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में उक्त अवधि को यथावत 01 वर्ष बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री बिष्ट द्वारा अवगत कराया गया कि लाइसेन्स की वैधता अवधि बढ़ाने पर अधिक मात्र में मैथनॉल एकत्र होने एवं इसके दुरुपयोग होने की सभावना अधिक बढ़ सकती है चूंकि मैथनॉल से जहरीली शराब बनाने का खतरा भी बना रहता है।

(4)

इस पर औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि मैथनॉल में उपयोग होने वाले टैंकरों में जी०पी०एस० लगाये जाने चाहिये ताकि उनके आवागमन पर निगरानी रखी जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि उक्त बैठक का संदर्भ देते हुए पुनः एक पत्र शासन को प्रेषित करें, जिसमें निम्न बिंदुओं का समावेश भी किया जाए –

1. मैथनॉल ट्रांसपोर्ट में लगे वाहनों में सी०सी०टी०वी० व जी०पी०एस० ट्रेकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि टैंकरों के आवागमन की निगरानी की जा सके।
2. मैथनॉल लाइसेंस बनवाने एवं नवीनीकरण कराने सहित लाइसेंस से संबंधित आदि समस्त प्रक्रियायें ऑनलाइन की जानी चाहिये ताकि कार्य में अनावश्यक देरी व लापरवाही पर अंकुश लग सके।

कार्यवाही – जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर

बिन्दु संख्या 09 – नॉन अटेटमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा – बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय कार्य की व्यस्ता के कारण क्षेत्रीय अधिकारी उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये। इस पर सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र ऊधम सिंह नगर द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर से प्राप्त पत्र का संदर्भ देते हुए सदन को अवगत कराया गया कि “काशीपुर के वायु प्रदूषण को कम किये जाने हेतु एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को कम किये जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम काशीपुर, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग एवं जिला विकास प्राधिकरण से संबंधित कई बिन्दु एक्शन प्लान में सम्मिलित किये गये हैं, जिन पर कार्यवाही गतिमान है। एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए समिति की बैठकें आयोजित कराई जा रही है।”

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि काशीपुर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (Air Quality) ज्यादा अच्छी नहीं है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा तभी हम वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे। मात्र पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयास करने से समस्या का समाधान संभव नहीं है यह एक सामाजिक दायित्व का विषय है जिस पर सभी को मिलकर कार्य करना एवं जागरूकता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह भी अपने-अपने स्तर से वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए आमजन को जागरूक करें।

कार्यवाही – क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर/समस्त औद्योगिक इकाई।

बिन्दु संख्या 10 – महुआखेडागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेडा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में – बैठक में सचिव के०जी०सी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि महुआखेडागंज काशीपुर का मुख्य मार्ग एवं अन्तरिक मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है एवं दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।

इस पर बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि महुआखेडागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेडा तक (ढकिया-गुलाबो-पेगा-मुकुन्दपुर मार्ग सं० 105) मार्ग की कुल लम्बाई 25.757 कि०मी० है। मार्ग के कि०मी० 11 से 16 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। जिसमें से किमी 11.00 से 13.700 (कुल दूरी 02.70) तक का प्रभाग पुनः निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं माह मई 2023

— क्रमशः पेज संख्या – 05 —

(5)

में कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा, जिसे 31 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही किमी 13.700 से 16.000 तक प्रभाग के 2.30 कि०मी० लम्बाई के पुनः निर्माण हेतु शासन से रू० 452.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त प्रभाग में डी०बी०एम० द्वितीय लेयर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 30 जून, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि जिन मार्गों की निविदायें खोली जा चुकी हैं, उन पर यथाशीघ्र कार्य आरम्भ कराया जाये एवं जो मार्ग खराब है उनकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर।

बिन्दु संख्या 11 – उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में – बैठक में अध्यक्ष एस०ई०डब्ल्यू०एस०, एस०एस०आई०डब्ल्यू०ए० एवं सचिव के०जी०सी०सी०आई० द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की अनियमित कटौती की जा रही है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अनियमित ट्रिपिंग की सूचना भी संबंधित क्षेत्र की इकाईयों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को नहीं दी जा रही है, जिससे फर्निश उद्योगों को एवं अन्य उत्पादन कार्य कर रहे उद्योगों को काफी हानि होती है।

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत उद्योगों से किसी भी प्रकार की अनियमित कटौती नहीं की जा रही है।

इस पर सचिव के०जी०सी०सी०आई० द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि हो सकता है कि रुद्रपुर क्षेत्र में कटौती न की जा रही हो परन्तु जसपुर एवं बरी तहसील किच्छा क्षेत्र में निरंतर अनियमित कटौती की जा रही है, जिससे उत्पादन कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है, एवं सम्भवतः इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी अनियमित कटौती की जा रही होगी। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि घरेलू फीडर व औद्योगिक फीडरों को अलग-अलग किया जाना चाहिये साथ ही औद्योगिक इकाईयों हेतु सर्किट ब्रेकर्स लगाने चाहिये ताकि जितने क्षेत्र में मेंटेनेंस कार्य किया जाये, उतने क्षेत्र की विद्युत कटौती की जाये शेष क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारु रह सके।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर सहित अन्य विद्युत वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण जनपद में औद्योगिक क्षेत्रों का तकनीकी सर्वे किया जाए एवं ऐसे फीडर चिन्हित किए जाएं, जहां सर्किट ब्रेकर लगाये जाने की आवश्यकता है एवं साथ ही ऐसे फीडर भी चिन्हित किए जाएं जिन पर औद्योगिक व घरेलू लोड एक ही फीडर पर होने के कारण फीडर अलग-अलग किये जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में सर्वे उपरान्त प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय प्रेषित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर, काशीपुर के बैठक में उपस्थित न होने पर रोष प्रकट किया गया एवं सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में विद्युत विभाग से मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाये।

कार्यवाही – समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 12 – सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में – उपाध्यक्ष एस०ई०डब्ल्यू०एस०, पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में बड़ी संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट में भी कार्य किया जाता है, जिसमें रात्रि के समय लूटपाट की

घटनायें होती रहती हैं एवं कई बार ट्रैफिक भी अनियंत्रित हो जाता है। चूँकि सिडकुल चौकी में पुलिस कार्मिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप कम है। इस पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित किया जाये।

इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल पंतनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त में सचिव के0जी0सी0सी0आई0 के द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में औद्योगिक आस्थान काशीपुर में पुलिस पिकेट बनाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा नियमित ड्यूटी की जाती थी। वर्तमान में उक्त ड्यूटी नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में उनके द्वारा उक्त पिकेट को पुनः सुचारु कराये जाने एवं नियमित रूप से पुलिस कर्मियों की तैनाती किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यवाही – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 13 – सिडकुल पंतनगर में सड़कों की स्थिति के संबंध में – बैठक में अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 श्री आशुतोष शर्मा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सैक्टर-11 में पानी की टंकी से मै0 अनुसुइया ऑटो होते हुए टाटा मोटर्स गेट नम्बर-4 तक की सर्विस लेन, मैक्सिमा सोल्यूशन के पास, सैक्टर-4 में पार्कसन पैकेजिंग के पास एवं मै0 होलोस्टिक इण्डिया के सामने की सड़कें अत्यन्त खराब हैं, जिससे आये दिन इन सड़कों पर दुर्घटनायें होती रहती हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य मार्ग से सिडकुल पन्तनगर हेतु टर्न लेते समय (मुख्य तौर पर ब्रिटानिया चौक एवं पार्ले चौक) सड़क पर गढ़ड़े जैसे गहराई वाले ढाल बने हुए हैं, जिससे हर समय वाहन दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त सड़कों की मरम्मत तत्काल की जानी चाहिये, क्योंकि इससे औद्योगिक आवागमन प्रभावित होता है साथ ही आकस्मिक घटना घटित होने की सम्भावना भी बनी रहती है।

क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में 31 सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 06 सड़कों का आगणन तैयार कर लिये गये हैं, जिन पर कार्य आरम्भ किया जाना है। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 बजाज ऑटो व होलोस्टिक इण्डिया के सामने की सड़कें बनाई जा चुकी हैं तथा 10 दिन के भीतर मुख्य मार्ग का पैच वर्क भी पूरा कर लिया जायेगा। उपाध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिडकुल में नारी फार्मा से सिटी पार्क के मध्य कई जगहों पर विद्युत पोल लगे हैं, जिनसे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा सड़क के मध्य लगे पोलों को हटाने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका सर्वे वह स्वयं करें ताकि कहीं पर कोई कमी पाई जाती है, तो क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पन्तनगर को अवगत कराये ताकि पाई गई कमियों का निस्तारण कराया जा सके एवं जो सड़कें बनाई जानी हैं, उनके संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पन्तनगर को अवगत कराये कि किन सड़कों को वरीयता क्रम में बनाया जाना ताकि जिन सड़कों का उपयोग अधिक होता है, उन्हें प्राथमिकता पर बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि सिडकुल क्षेत्रान्तर्गत जहां-जहां पर सड़कों के मध्य विद्युत पोल लगे हैं, उनको हटाकर सड़कों के किनारे लगाया जाये। इस संबंध में ऐसे सड़कों का सर्वे कर आगणन तैयार करें एवं धनराशि की मांग हेतु मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सदस्य सचिव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में विद्युत विभाग से मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को ही बैठक में बुलाया जाये।

बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा सिडकुल में सड़क निर्माण एवं सड़कों के रख-रखाव के संबंध में संतुष्टि व्यक्त की गई जिस कारण सहमति के आधार पर उक्त बिन्दु को आगामी बैठक से विलोपित किया जाना उचित होगा।

(7)

बिन्दु संख्या 14 – सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में – बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में दुकानों को सुचारु किया जाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि सिडकुल इकाईयों में कार्यरत कार्मिक रेडी आदि से खाने-पीने की वस्तुयें क्य करते हैं, जिससे सिडकुल परिक्षेत्र में गंदगी बढ़ती है एवं सड़कें बाधित रहती हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दुकानों के आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सिडकुल मुख्यालय स्तर पर की जानी है, जिस हेतु रिक्त दुकानों की सूची तैयार कर सिडकुल मुख्यालय प्रेषित कर दी गई है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सिडकुल पंतनगर में 03 शौचालय सुचारु रूप में गतिमान हैं।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर।

बिन्दु संख्या 15 – सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में – क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में वाहन खड़े करने हेतु पार्किंग स्थल उपलब्ध है तथा पुलिस विभाग, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, एवं सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा समय-समय पर चालान की कार्यवाही की जा रही है तथा अनियमित/निर्धारित पार्किंग में वाहन न खड़े किये जाने पर प्रतिदिन 25 से 30 वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि दिनांक 18 मई, 2023 को सिडकुल की औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी भी इकाई के वाहन अनियमित/पार्किंग से इतर खड़े पाये जाते हैं, तो इकाई पर रु0 5000.00 का जुर्माना लगाया जायेगा। इस पर बैठक में उपस्थित समस्त उद्यमियों/औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि सिडकुल पन्तनगर में सुरक्षा कार्मिकों के माध्यम से अनियमित खड़े वाहनों को प्रथम चेतावनी देते हुए चालान कराये एवं पुनः अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये साथ ही जिस इकाई के सामने वाहन अनियमित खड़े पाये जाये, उस इकाई के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर।

बिन्दु संख्या 16 – सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध में – अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में बस का संचालन किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में बस सिडकुल के अन्तरिक मार्गों पर न आकर बाहर से ही निकल जाती है, जिससे श्रमिकों को आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है।

बैठक में उपस्थित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिडकुल में पर्याप्त सवारी न मिलने के कारण बस सिडकुल के आन्तरिक मार्गों पर नहीं जाती है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उनके द्वारा स्वयं बसों की निगरानी की गई, बसों प्रतिदिन सिडकुल पन्तनगर के आन्तरिक मार्गों पर जा रही थीं परन्तु सवारी न मिलने के कारण वर्तमान में बसों अन्दर न जाकर बाहर के रास्ते से होकर जा रही हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्वयं के वाहनों से आवागमन करते हैं एवं यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने कर्मचारी सिडकुल में आवागमन हेतु बसों का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा सदन के सम्मुख सुझाव प्रस्तुत किया गया कि सिडकुल की समस्त इकाईयां अपनी-अपनी इकाई में सर्वे करें कि उनकी इकाई में कितने कर्मचारी बसों से आते हैं एवं कितने स्वयं के वाहन से आते हैं। चूंकि इससे स्पष्ट

(8)

हो जायेगा कि कितने व्यक्तियों को बसों की आवश्यकता है एवं किन इकाईयों के ज्यादा कर्मचारी बसों से आवागमन करते हैं ताकि इन इकाईयों के मध्यम ही बस स्टॉप बनाया जाये। इस पर समस्त उद्यमियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि बसों के संचालन एवं बस स्टॉप के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पन्तनगर के साथ पृथक से बैठक कर इकाई के कर्मचारियों के हितों/सुगमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें एवं आगामी बैठक में कार्ययोजना से अवगत करायें।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर।

बिन्दु संख्या 17 – रिद्धि सिद्धि कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में – अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त बाईपास रोड का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि भविष्य में उक्त मार्ग के आस-पास कोई घटना घटती है, तो इकाई में कार्य कर रहे कर्मचारियों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

उक्त बिन्दु के संबंध में सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि बाईपास निर्माण हेतु प्रथम चरण का आगणन 550 मीटर लम्बाई व लागत रू0 2.25 लाख तैयार कर क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल पन्तनगर को उपलब्ध करा दिया गया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मै० रिद्धि सिद्धि कम्पनी के पास बाईपास रोड हेतु नया डिजाइन बनाया जाना है, जिस हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर/
अधिशारी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रपुर।

बिन्दु संख्या 18 – **Foot Over Bridge** के संबंध में – अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल के अधिकांश कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं एवं पारले चौक, ब्रिटानिया चौक और मैट्रोपोलिस मॉल के पास कर्मचारियों को सड़क पार करने में अत्यधिक कठिनाई होती है क्योंकि ये सभी स्थान नेशनल हाईवे से सम्बद्ध हैं एवं नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की गति काफी तेज रहती है। उनके द्वारा पारले चौक, ब्रिटानिया चौक और मैट्रोपोलिस मॉल के पास **Foot Over Bridge** बनाने का अनुरोध किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर सदय सचिव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त बिन्दु पर ई-मेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थीं, जिसमें तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन करा लिया गया है तथा वित्तीय निविदायें खोली जानी हैं। जल्द ही कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए, कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु तिथि दी जायेगी।

कार्यवाही – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊ0सिं0न0।

बिन्दु संख्या 19 – ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से सिडकुल पन्तनगर के समस्त सेक्टरों के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में – अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल, पन्तनगर और ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल के बीच एक कनेक्टिंग रोड की आवश्यकता है चूंकि कर्मचारियों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल में कार्य शुरू होने पर सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसाइटी एवं उपस्थित उद्यमियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त होना अपेक्षित है तथा वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कार्य गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण का आगणन रू0 340.29 लाख की स्वीकृति सिडकुल द्वारा प्रदान कर दी गई है एवं एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित हो गया है। शीघ्र ही स्थल पर लो0नि0वि0 द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, पंतनगर/
अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रपुर।

बिन्दु संख्या 20 – एल्लिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज-2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में – अध्यक्ष एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 श्री कृष्ण सत्यवली द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र सितारगंज फेज-02 में 25 से 30 इकाईयां प्रस्तावित हैं परन्तु विद्युत सब-स्टेशन संचालित न होने के कारण उक्त इकाईयां स्थापित नहीं हो पा रही हैं।

क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एन0 विद्युत इकाई बरेली के परियोजना प्रबंधक द्वारा विगत उद्योग मित्र की बैठकों में यह आश्वस्त किया गया था कि प्लास्टिक पार्क के समीप एवं एक अतिरिक्त सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कर ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा किन्तु आतिथि तक कार्य की प्रगति शून्य है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था को कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान भी नहीं किया जा रहा है परन्तु अतिरिक्त धनराशि की मांग निरन्तर की जा रही है।

इस पर बैठक में उपस्थित श्री कृष्ण कुमार जोशी, जे0ई0 यू0पी0आर0एन0एन0 लि0, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि सब-स्टेशन ऊर्जीकृत कराये जाने का कार्य शिवा इलेक्ट्रिकल संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है। एक विद्युत कप्लर चौरी हो जाने के कारण उक्त विद्युत लाइन आरम्भ नहीं हो पाई है। उक्त कप्लर जर्मनी से आयात किया जाना है, जिसके आने के उपरान्त सब-स्टेशन को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल, सितारगंज को निर्देशित किया गया कि जब तक यू0पी0आर0एन0एन0 पूर्व में व्यय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करा दे तब तक किसी भी प्रकार से अतिरिक्त धनराशि न दी जाये। साथ ही इनके द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही एवं हीलाहवाली के संबंध में उच्चाधिकारियों से पत्राचार करें एवं आवंटित कार्य समय पर पूर्ण न होने एवं अनियमितता पाये जाने पर यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली के विरुद्ध वाद भी दायर करें।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल,
पंतनगर/यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली।

बिन्दु संख्या 21 – सितारगंज से एल्लिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में – अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि रामनगर-कालादुंगी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-41) के अन्तर्गत सितारगंज से एल्लिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के किमी 96 से 111 तक कुल 15.00 किमी लम्बाई

में मार्ग पूर्णतः डामरीकृत है एवं इस पर यातायात सुलभ है। उक्त मार्ग किमी 96 से 100 तक के प्रभाग के समानान्तर स्थित पूर्व निर्मित सिडकुल मार्ग के सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु निक्षेप मद में लम्बाई 4 किमी एवं लागत रू0 478.05 लाख की धनराशि सिडकुल द्वारा खण्ड में स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति पर है।

मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (CRIF) के अन्तर्गत मार्ग की 15.50 किमी लम्बाई में Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। जिसके पश्चात कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उक्त मार्ग के किमी 100 से 110 तक मार्ग का Two Lane with paved shoulder द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य लम्बाई 11 किमी एवं लागत 1682.00 लाख का आगणन विशेष सहायता योजना वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत पुनः शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सितारगंज, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त मार्ग से यूटिलिटी शिपिंग हेतु रू0 126.86 लाख का आगणन इस खण्ड में उपलब्ध कराया गया है, जिसको तकनीकी संप्रेक्षा परीक्षण के उपरान्त शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।

बिन्दु संख्या 22 – सिडकुल परिसर में धरना/आन्दोलनों को रोकने के संबंध में – क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दिनांक 24.04.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय में सिडकुल एसोशिएसन व औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक की गयी तथा उनको निर्देशित किया गया कि वे अपनी इकाई में कार्मिकों/श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के सुचारु निष्पादन हेतु प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन करें एवं कार्मिकों/श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल औद्योगिक संगठनों से वार्ता कर अवगत कराया गया है कि धरना/आन्दोलनों को सिडकुल परिसर में नहीं किया जायेगा तथा धरना/आन्दोलनों हेतु स्थल की अनुमति उपजिलाधिकारी महोदय अथवा प्रशासन से प्राप्त करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों के प्रकरण निष्पादन हेतु प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन करें ताकि समस्त कार्मिक अपनी समस्या इकाई प्रबन्धन के सम्मुख रख सकें। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा एवं कम्युनिकेशन गैप भी कम होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि श्रमिकों को उचित वेतन व निर्धारित अवधि के अतिरिक्त प्लांट में न रोका जाये, यदि रोकते भी हैं, तो इसके लिए कम्पनी से नियमानुसार संबंधितों को वेतन का भुगतान अवश्य करें।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज/पंतनगर।

बिन्दु संख्या 23 – पन्तनगर से रूद्रपुर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर सदय सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त बिन्दु पर ई-मेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि परियोजना की कुल लम्बाई-49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै0 गाबर कन्स्ट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कार्यवाही – प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊ0सिं0न0।

बिन्दु संख्या 24 – एन0एच0 74 एवं 87 के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के कार्यालय से प्राप्त ई-मेल के क्रम में सदय सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 74 (काशीपुर-सितारगंज अनुभाग) के कि०मी० 175 से कि०मी० 252.200 तक के चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण का कार्य BOT (Toll) पद्धति के आधार पर कार्यदायी संस्था, मै० काशीपुर सितारगंज हाईवे प्रा० लि० के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस हेतु कुल लम्बाई 77.200 कि.मी. के सापेक्ष 77.200 कि.मी. में मैनकेरीज वे का निर्माण कार्य 30.12.2022 को पूर्ण करा दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 के संबंध में अवगत कराया गया है कि परियोजना की कुल लम्बाई-49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै० सदभाव नैनीताल हा० लि० द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै० गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, जो कि जून 2024 तक पूर्ण किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै० सदभाव नैनीताल हा० लि० द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै० गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कार्यवाही – प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊ०सि०न०।

बिन्दु संख्या 25 – सिडकुल में नालियों की सफाई/मरम्मत के संबंध में – अध्यक्ष एस०ई०डब्ल्यू०एस० द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में नालियों की सफाई/मरम्मत का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। कुछ सैक्टरों में बरसाती नालों की सफाई की गयी है। महोदय सिडकुल की सीवर लाइनें लगभग हर जगह चोक हैं एवं नालियों की दिवारे भी टूट गई हैं। इसके बारे में बार-बार सिडकुल कार्यालय, पंतनगर को सूचित किया गया है। इस संबंध में कई इकाईयों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय, पंतनगर में दिये गये हैं, जैसे – सैक्टर. 9, डविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आई०आई०डी०सी० में, सैक्टर 4 इमीनेन्ट पावर के पास होलास्टिक इण्डिया के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर आदि जैसी समस्याएँ बनी रहती है।

सचिव के०जी०सी०सी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में नियमित रूप से नालियों की सफाई न होने से मिट्टी एवं कूड़ा-करकट नालियों में भर जाता है, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं, कई स्थानों पर सड़क टूटी हुई है जिससे उन स्थानों पर वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है, जिस कारण आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर द्वारा रू० 195.78 लाख का आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सिडकुल मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। सिडकुल प्रबन्धन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जानी अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि बजट आवंटन से पूर्ण जिन-जिन स्थानों पर जल भराव की समस्या है अथवा जिन स्थानों पर नालियां चौक हो जाती हैं/टूटी हुई हैं, उन स्थानों का सूचीबद्ध कर लिया जाये ताकि बजट आवंटन होने के उपरान्त तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पंतनगर।

बिन्दु संख्या 26 – सिडकुल के कैरोलिया लाईटिंग के पास सड़क पर सैक्टर में बीच सड़क से मोबाईल टावर को हटाने के संबंध में – अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर 03 में कैरोलिया लाईटिंग के पास मुख्य मार्ग के केन्द्र में इण्डस कम्पनी का मोबाइल टावर लगाया गया है, जिससे इस स्थान पर दुर्घटनायें होती रहती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त मोबाईल टावर को सेक्टर 4 में मैसर्स दिग्विजय इण्डस्ट्रीज के समीप हस्तांतरण कर दिया गया है एवं वर्तमान Existing Mobile Tower को पूर्णतया: हटा दिया गया है एवं मै0 स्पेशल केबल इकाई द्वारा उक्त चौराहें का सौदर्यीकरण किया जा रहा है।

इस उद्यमियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। सहमति के आधार पर उक्त बिन्दु को आगामी बैठक से विलोपित किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 27 – औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर, काशीपुर के भू-खण्डों के हस्तांतरण के संबंध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर, काशीपुर के भू-खण्डों में कुछ इकाईयों के भू-खण्डों हस्तांतरण किये जाने हैं, जिसकी सहमति आप द्वारा प्रदान की जानी है। भू-खण्डों का विवरण निम्न प्रकार है –

बिन्दु संख्या 27.1 – मै0 एनमिग इण्डस्ट्रीज – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मै0 एनमिग इण्डस्ट्रीज प्रो0 अजीत मिगलानी, प्लांट सं0-B-26 औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर द्वारा गद्दे, तकिया एवं पैकेजिंग सामग्री इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इकाई द्वारा अपनी प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण अपने उक्त भूखण्ड को श्री इशान कटारिया पुत्र श्री रमेश कटारिया के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिये सहमत है। दोनों ही पक्षों द्वारा सहमति/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड में द्वितीय पक्ष द्वारा मै0 कटारिया इन्टरप्राइजेज इकाई स्थापित की जायेगी, जिसमें गद्दे, तकिया एवं पैकेजिंग सामग्री इत्यादि के निर्माण/उत्पादन का कार्य संचालित किया जायेगा, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

बिन्दु संख्या 27.2 – मै0 सिंगला एग्रो इण्डस्ट्रीज व मै0 जयराज इण्डस्ट्रीज – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मै0 सिंगला एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रो0 अरुण कुमार, गुगा लाल B-7 एवं मै0 जयराज इण्डस्ट्रीज प्रो0 अरुण कुमार प्लांट सं0 B-6, औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर इकाई भूखण्ड संख्या सं0 B-6 एवं B-7 औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर के हस्तान्तरण/ नामांतरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से भूखण्ड संख्या सं0 B-6 को गुगा लाल एवं B-7 को अरुण कुमार के नामें किये जाने हेतु हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

बिन्दु संख्या 27.3 – मै0 वंश इन्टरप्राइजेज – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि श्रीमती मोनिक्का अगरवाल निवासी टी-4/12 ए-02 सन वर्ल्ड आरिस्ता छपरोली खादर, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भूखण्ड संख्या D-9 औद्योगिक आस्थान काशीपुर को उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा सहारनपुर रोड, देहरादून विक्रय प्रमाण पत्र (ई-आक्सन) दिनांक 27-06-2022 द्वारा नीलामी के माध्यम से क्रय किया गया है। उनके द्वारा बैंक का विक्रय प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को दिनांक 02 मार्च, 2023 को दिया गया है। महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक द्वारा नीलामी के फलस्वरूप इकाई का नामान्तरण/सप्लीमेंट्री डीड किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों (बिन्दु सं० 27.1 से 27.3) पर संस्तुति प्रदान करते हुए सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त ही संबंधित भू-खण्ड के नामान्तरण/हस्तांतरण की कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

27.4 – मै० रुद्रा इन्टरप्राइजेज ई-33 फेज प्रथम एवं श्रीमती अनुभा गुप्ता ए-93 आवास विकास रुद्रपुर – कार्यालय आदेश संख्या 2582-84 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर को कार्यालय एवं लैब प्रयोगार्थ आवंटित किया गया था। उक्त आवंटित भूमि पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिस हेतु उक्त भूमि विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। प्रस्तावित स्थल एक तिकोना भू-भाग जिसे कोई भूखण्ड संख्या आवंटित नहीं है।

मै० रुद्रा इन्टरप्राइजेज एवं अन्य द्वारा गद्दे निर्माण की इकाईयां स्थापित करने हेतु इस भूमि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मै० रुद्रा इन्टरप्राइजेज एवं अन्य द्वारा गद्दे निर्माण की इकाईयों स्थापित करने हेतु इस भूमि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव, को निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दु के संबंध में पुनः विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करें एवं उद्योग मित्र के माध्यम से प्रक्रिया करते हुए आवंटन संबंधी कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

27.5 – मै० जगन आटोमोटिव्स प्रो० आलोक अग्रवाल A-4 औद्योगिक आस्थान काशीपुर – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त भू-खण्ड पर नई इकाई फोर्टिफाइड राईस कर्नेल का उत्पादन किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है। जाँच में पाया गया है कि इकाई द्वारा मै० फार्मूला लाइटिंग (इंडिया) प्राइवेट लि० कम्पनी कर दिया गया है। कार्यालय द्वारा जाँच प्रक्रिया जारी है। इकाई से सम्बन्धित प्राइवेट लि० कम्पनी के गठन की दशा में जाँच की कार्यवाही गतिमान है, जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी।

27.6 – मै० श्रीराम गारमेंट्स एण्ड एसेसरीज – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार भूखण्ड के साझेदार का नाम परिवर्तन किया जाना है, जिसके संबंध में इकाई से साझेदार फर्म/इकाई के पुर्नगठन की स्थिति चाहने हेतु आख्या/जाँच की कार्यवाही गतिमान है। उक्त जाँच उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उक्त बिन्दुओं (27.5, 27.56) के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में कार्यालय द्वारा जांच की गई है, जिसमें इकाई को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वांछित दस्तावेज उपलब्ध होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वांछित प्रपत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

बिन्दु संख्या 28 – सिडकुल सितारगंज में खली पड़े प्लॉटों में वृक्ष कटान की ONE TIME PERMISSION देने की कृपा की जाये – अध्यक्ष एस०एस०आई०डब्ल्यू०ए० द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि

सिडकुल सितारगंज में खाली पड़े प्लॉटों पर बहुत अधिक संख्या में वृक्ष लगे हैं, जिस कारण वहां कई बार जंगली जानवरों को देखा जा रहा है, जिससे सिडकुल में कार्यरत व्यक्तियों को जंगली जानवरों के हमले का खतरा बना हुआ है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि इस संबंध में अनुमति चाहने हेतु डीएफओ महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्यवाही – क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज/वन विभाग, ऊधम सिंह नगर।

उद्यमियों द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दु

बिन्दु सं0 01 – मै0 माँ शीतला वेन्चर्स लिमिटेड के संबंध में – बैठक में उपस्थित उक्त इकाई के प्रतिनिधि श्री तुषार अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि किशनपुर किच्छा में उनके द्वारा मैथनोल प्लांट की स्थापना की जा रही है। इस हेतु उनके द्वारा एकल खिड़की के माध्यम से कैफ आवेदन किया गया था, जिस पर जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के अतिरिक्त अन्य समस्त विभागों द्वारा प्राथमिक अनुज्ञायें प्रदान कर दी गई हैं।

उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी इकाई के सामने की सड़क लगभग 9 मीटर चौड़ी है जबकि प्राधिकरण के मानकानुसार 15 मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है, इसी कारण से जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर के सहायक अभियन्ता से इस संबंध में जानकारी चाहने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क की चौड़ाई लगभग 09 मीटर ही है लेकिन साइडों की फिलिंग करने उपरान्त एवं वहां संचालित नाले को कवर कर उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि मै0 माँ शीतला वेन्चर्स लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर।

बिन्दु सं0 02 – सिमला से मलसा, दरउ रोड के चौड़ीकरण किये जाने के संबंध में – बैठक में पूर्व अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिमला से मलसा दरउ मार्ग पर वर्तमान में औद्योगीकरण हो रहा है, जिस कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मार्ग की लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 है।

इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग का सर्वे कर Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

समस्त बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त सदस्य सचिव, द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि समस्त औद्योगिक इकाईयों में महिला कर्मचारियों हेतु विशाखा गाइडलाइन अन्तर्गत एक हेल्प डेस्क बनाई जानी है। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त इकाई उक्त हेल्प डेस्क को बनाते हुए सूचना कार्यालय महाप्रन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि अध्यक्ष महिला आयोग, उत्तराखण्ड को उक्त सूचना से अवगत कराया जा सके।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि

इकाई में सुगम वातावरण बनाये एवं इकाई के कार्मिकों की समस्याओं को इकाई प्रबन्धन के माध्यम से ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाये। साथ ही सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि सिडकुल से संबंधित बिन्दुओं पर पृथक से बैठक का आयोजन करें एवं इसी प्रकार से एन0एच0ए0आई0/पी0डब्ल्यू0डी0, विद्युत विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर पृथक से बैठक करें ताकि कम बिन्दु होंगे तो चर्चा विस्तार से की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैठक में जो भी निर्देश दिये गये हैं, उनका अनुपालन नियत समयावधि में कर आख्या से अधोहस्ताक्षरी को एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को अवगत कराये एवं महाप्रबन्धक उक्त अनुपालन आख्याओं को संकलित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त उद्यमियों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(विपिन कुमार)
महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव
जिला उद्योग केन्द्र
ऊधम सिंह नगर।

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय उद्योग मित्र
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय –जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक...../जिला उद्योग मित्र बैठक/2023-24/दिनांक-

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महोदय, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मंडल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, महोदय, ऊधम सिंह नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, ऊधम सिंह नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सदस्य/प्रतिनिधि जिला स्तरीय उद्योग मित्र, जनपद-ऊधम सिंह नगर।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
ऊधमसिंह नगर।